उत्तरप्रदेश के युवक की शराब पिलाने के बाद हत्या की वारदात का खुलासा

मृतक के दोस्त और साथी मजदूर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

भीलवाड़ा, (निसं)। हमीरगढ़ थाना पुलिस ने बनास नदी क्षेत्र में उत्तरप्रदेश के प्रदीप पांडेय की शराब पिलाने के बाद चाकू से गोदकर हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए मृतक के दोस्त और साथी मजदूर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो यूपी और एक बिहार का रहने वाला है।

जानकारी के अनुसार, हमीरगढ़ क्षेत्र में बनास नदी की पुरानी पुलिया के नीचे गुरुवार को एक युवक की खूनसनी लाश मिली थी। शव पर गहरे जख्म थे। पुलिस ने कान्याखेड़ी निवासी व मोबाइल शॉप संचालक कन्हैयालाल गुर्जर के जरिये शव की पहचान उत्तरप्रदेश के अमेठी जिले के चौरावनपुरा निवासी प्रदीप (28) पुत्र चंद्रभान पांडे के रूप में की थी। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को साजो को भी मौके पर बुलाकर शव की पहचान करवाई। प्रदीप अभी पत्नी साजो के साथ कान्याखेड़ी चौराहा क्षेत्र में रहकर नितिन स्पीनर्स में मजदूरी कर रहा था। साजो की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया किया था।

हमीरगढ़ थाना पुलिस ने हत्या के मामले में तीन जनों को गिरफ्तार किया।

- युवक की शराब पिलाने के बाद आरोपियों ने चाकू से गोदकर हत्या की थी

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने वारदात को गंभीरता से लेते हुये इसके खुलासे के लिए एएसपी पारस जैन के निर्देशन, डीएसपी सदर श्यामसुंदर विश्नोई के सुपरविजन और हमीरगढ़ थाना प्रभारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की थी। टीम ने अथक प्रयास कर तीन संदिग्धों को हाथरस व फर्रुखाबाद से डिटेन किया। तीनों को पुलिस यहां ले आई। पूछताछ करने पर तीनों ने वारदात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने बिहार के मधुबनी जिले के ठाढी निवासी मुख्य आरोपित मनोज (27) पुत्र पंचि कामत, उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले के बरोली निवासी विकास (19) पुत्र गुलवीर सिंह बढ़ाई और फरुखाबाद जिले के गोपालपुरा निवासी गोविंद (23) पुत्र बिरपाल कश्यप को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपित भी मृतक के साथ फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। आरोपित मनोज, अपने दो साथियों विकास व गोविंद के साथ प्रदीप पांडे को वारदात वाले दिन अपने साथ बनास नदी में ले गया, जहां प्रदीप को इन लोगों ने शराब पिलाई। इसके बाद जब प्रदीप शराब के नशे में मदहौश हो गया तो उसे पर चाकू से कई वार किये, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपित मनोज व मृतक प्रदीप एक साथ नितिन स्पीनर्स में काम करते थे। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। आरोपित, मनोज, प्रदीप पांडे की पत्नी से एक तरफा प्यार करता था। वह प्रदीप की पत्नी को पाना चाहता था। इसी के चलते मनोज ने षड्यंत्र रचकर प्रदीप को मौत के घाट उतार दिया।

दुल्हा व दुल्हन ने अलग-अलग मतदान केंद्रों पर वोट डाला

सुलताना कस्बे के एक बूथ पर दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची।

झुंझुनूं, (निसं)। झुंझुनूं उपचुनावों में कई रोचक तस्वीरें भी सामने आ रही है। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। मंगलवार को देवउठनी एकादशी के मौके पर अबूझ सावों का मुहूर्त था। ऐसे में बड़ी संख्या में बुधवार को दुल्हा व दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंचे।

इसी तरह इंदिरा नगर निवासी मनीष टीबड़ेवाला की भी बारात आज जयपुर जा रही है। बारात रवाना होने से पहले दुल्हा बनने जा रहा मनीष टीबड़ेवाल अपने परिवार सहित मतदान केंद्र पहुंचा और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केवल मनीष टीबड़ेवाल ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के झुंझुनूं शहर में रहने वाले दो दर्जन से अधिक सदस्य अपने अपने बूथों पर पहले वोट डालकर आए। फिर मनीष के साथ बारात में रवाना हुए। कलेक्टर रामावतार मीणा ने मनीष को ना केवल शादी की बधाई दी और कहा कि सभी को मनीष जैसे मतदाताओं से प्रेरणा लेकर अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। बारातियों की बात करें तो मनीष टीबड़ेवाल के चचेरे भाई अंकुर टीबड़ा, मनीष की भाभी प्रियंका टीबड़ा सहित अन्य ने भी वोट डाले।

इसी क्रम में सुलताना कस्बे के बूथ संख्या 119 में एक दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची। सुलताना की पिंटू कंवर की शादी बीती रात को ही हुई थी। जिसने सात फेरे लिए और सुबह घर से विदाई के बाद वह सीधे मतदान केंद्र पहुंची। जहां पर उसने वोट डाला फिर अपने ससुराल नागौर के लिए रवाना हुई। वोट डलवाने के लिए दूल्हा भी साथ पहुंचा। फूलों से सजी-धजी गाड़ी सुबह-सुबह जब मतदान केंद्र पहुंची तो सभी के लिए उत्सुकता रही। इधर, वोट डालने के बाद पिंटू कंवर ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है। इसलिए उसने मेहंदी रचे हाथों पर लोकतंत्र की स्याही की मेहंदी भी लगवाकर खुश है। सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

दुकानों के शटर तोड़ 10 लाख के मोबाइल सहित सामान चोरी

मकराना पुलिस टीम ने दोनों दुकानों और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया

मकराना, (निसं)। शहर में पिछले तीन दिनों से चोरों ने मोबाइल दुकानों को अपना निशाना बना रखा है। मंगलवार देर रात को चोरों ने घाटी चौराहा के पास स्थित पुनित मोबाइल और अल्फा मोबाइल की दुकानों के शटर तोड़ दिए और भीतर घुसकर लाखों के मोबाइल, उपकरण और एसेसरिज चुराकर ले गए।

मकराना थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पुनित मोबाइल संचालक महावीर पारीक और दीपक पारीक को वारदात से करीब 10 लाख रूपए का नुकसान हुआ है। वहीं अल्फा मोबाइल दुकान के संचालक कमल किशोर माली के भी पुराने मोबाइल व एसेसरिज का नुकसान हुआ है। महावीर पारीक मोबाइल कारोबार में मकराना का बड़ा व्यापारी है। सुबह उसकी दुकान के शटर टूटे देखकर

- दो दिन पहले भी ट्रक यूनियन में दुकान का शटर तोड़ चार लाख रूपए के मोबाइल चोरी हो गये थे

लोगों ने उसे सूचना दी। जिस पर वह दुकान पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। मकराना थाने से पुलिस टीम ने दोनों दुकानों और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। चोरों ने वारदात से पहले दुकानों की बिजली सप्लाई काटी और अंदर घुस कर सीसीटीवी कैमरे तोड़े। उन्होंने कैमरों के मेमोरी कार्ड निकाल लिए। इसके बाद में नए और पुराने मोबाइल सहित महंगे पेन ड्राईव सहित मोबाइल से जुड़ी एसेसरिज चुरा ली।

महावीर ने बताया कि उसकी दुकान में करीब 10 लाख रूपए का नुकसान हुआ है। उसके पड़ोस में ही कमल किशोर माली की दुकान है जिसकी दुकान में भी चोरों ने सेंधमारी की है। उसने बताया कि उसकी दुकान में अधिकांश पुराने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व मोबाइल एसेसरिज थी, जिन्हें चोर चुरा ले गए है। आरोपियों ने दोनों शटर किसी मजबूत रॉड से तोड़े हैं तथा दोनों चोरियां एक ही तरीके से की गई है। इससे दो दिन पहले ही ट्रक यूनियन में दुकान का शटर तोड़कर चोर 4 लाख रूपए के मोबाइल चुरा ले गए थे। मकराना थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि घाटी चौराहा में चोरी की घटना को लेकर पुलिस अनुसंधान जारी है।

कार में लगी आग, चालक बाल-बाल बचा

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा इलाके की छावनी फ्लाईओवर पर बुधवार सुबह एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार चालक ने कार को रोका और कार से नीचे उतर गया।

अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि छावनी फ्लाईओवर पर एक डीजल की कार में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एक दमकल को मौके पर रवाना किया गया और 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि कार चालक कुनाल मिश्रा एरोड्रम से कोटड़ी की ओर जा रहा था, तभी फ्लाईओवर पर कार के बोनट पर से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिस पर उसने तुरंत कार को रोका और नीचे उतरा इतनी देर में ही कार में आग की लपटें निकलने लगीं। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर भेजी और आग पर काबू पा लिया गया।

एसीबी द्वारा जब्त संदिग्ध राशि को लेकर चर्चाओं का दौर जारी

- महिला थाने के एसएचओ भंवर सिंह व रीडर जयसिंह को निलम्बित किया
- महिला पुलिस थाने पर 15 लिफाफों में मिले 4.54 लाख एवं एसएचओ भंवर सिंह के निवास पर मिले एक लाख 17 हजार रूपये की संदिग्ध राशि का मामला

भरतपुर, (निसं)। एसीबी के एएसपी अमित चौधरी के नेतृत्व में महिला पुलिस थाने पर की गई छापामार कार्यवाही में 15 लिफाफों में मिले चार लाख 54 हजार एवं एसएचओ भंवर सिंह के निवास पर मिले एक लाख 17 हजार रूपये की संदिग्ध राशि को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस की कार्यशैली एवं छवि पर सवालिया निशान उठने लगे हैं।

महिला पुलिस थाने पर बताया जा रहा है कि 2018 में भी एसीबी ने महिला पुलिस थाने के एसएचओ गोपेश कुमार को रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया था। इसके अलावा पिछले महीने महिला पुलिस थाने का निरीक्षण करने के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने भी महिला पुलिस थाने में पाई काफी अव्यवस्थाओं एवं कमियों को लेकर महिला पुलिस थाने को राज्य का सबसे घटिया और निम्न स्तर का थाना बताया था। महिला पुलिस थाने को लेकर लम्बे समय से कोई ना कोई चर्चा और विवाद बने रहते हैं। महिला पुलिस थाने पर बीस साल के रिकार्ड में केवल चार महिला एसएचओ रही है, जबकि एक दर्जन से अधिक पुरूष एसएचओ एवं अन्य पुरूष स्टाफ तैनात रहता है। जिससे महिला थाने पर आने वाली महिला उत्पीड़न एव अन्य महिला अपराधों को लेकर भी चर्चा होती रहती है।

इस महिला थाने पर महिला स्टाफ की सर्वाधिक नियुक्ति होनी चाहिए। एसीबी की महिला पुलिस थाने पर हुई कार्रवाई के बाद राज्य स्तर पर माना जा रहा है कि भरतपुर जिले में अब तक हुई एसीबी की कार्रवाईयों में यह ऐसा पहला मामला सामने आया है जिसमें लिफाफों में बंद रिश्वत की राशि में मुकदमा नम्बर और रिश्वत की रकम भी लिखी हुई मिली। एसीबी की इस कार्रवाई को लोगों में सराहनीय माना जा रहा है।

इस कार्रवाई के बाद में पुलिस के आलाधिकारियों ने इस महिला थाने के मामले को गंभीरता से लिया है और एसपी मृदुल कच्छावा ने त्वरित एक्शन लेते हुए महिला थाने के एसएचओ भंवर सिंह व रीडर जय सिंह को निलम्बित कर पुलिस लाइन में भेजने के आदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि पुलिस में यह भी चर्चा है कि महिला पुलिस थाने के सभी स्टाफ को बदला जा सकता है। अब पुलिस के अधिकारी एसपी एवं आईजी इस कवायद में लगे हैं कि महिला पुलिस थाना पर स्वच्छ एवं अच्छी छवि वाले पुलिस स्टाफ को लगाया जाए और पुलिस थाना की समय पर मॉनिटरिंग की जाए।

जिससे आगामी समय में महिला पुलिस थाना कि छवि आम लोगों में सही बनी रह सके। मंगलवार को महिला थाने में मोटी रकम होने की सूचना पर एसीबी भरतपुर की टीम ने एएसअपी अमित चौधरी के नेतृत्व में महिला थाने पर छापेमारी कर जांच की थी। जिसमें जांच के दौरान एसीबी को थाने में बंद लिफाफों से 4 लाख से 30 हजार रूपये राशि मिली थी। वही थाना प्रभारी के क्वार्टर से 1 लाख 25 हजार रुपए मिले। इस प्रकार कुल पांच लाख पचपन हजर रूपये की राशि मिली।

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो महिलाओं की मौत, 21 लोग घायल

भरतपुर, (निसं)। संभाग के धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना क्षेत्र के कोटरा गांव के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार दो महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 21 लोग घायल हो गए। घायलों को बसेड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में रैफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

भरतपुर जिले के गढीबाजना क्षेत्र के गजनुआ गांव निवासी राजेश अपनी भांजी की शादी में भात भरने के लिए अपने रिश्तेदारों महिला-पुरुष एवं बच्चे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा जा रहे थे। बयाना सड़क मार्ग स्थित कोटरा गांव के नजदीक बेकाबू होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीण और राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को रेस्क्यू किया और एंबुलेंस की मदद से घायलों को बसेड़ी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 35 वर्षीय गायत्री पत्नी मलखान एवं 40 वर्षीय सुनीता पत्नी राजेश को मृत घोषित कर दिया। दोनों महिला के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं हालत गंभीर होने पर करीब एक दर्जन महिलाओं बच्चों व एक युवक को जिला आरबीएम अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया। जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है।

घायलों ने बताया कि ढलान पर अचानक से गाय के ट्रैक्टर-ट्रॉली के सामने आ जाने पर उसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। हादसे में में 4 वर्षीय चंचल, 32 वर्षीय इंदिरा, 28 वर्षीय मातरम, 23 वर्षीय सुनीता, 4 वर्षीय कीर्ति, 30 वर्षीय राकेश, 14 वर्षीय चंचल, 8 वर्षीय कृष्णा, 60 वर्षीय केशकली, 28 वर्षीय पूजा, 10 वर्षीय संगीता, 32 वर्षीय पिंकी, 25 वर्षीय हेमलता, 6 वर्षीय जतिन, 28 वर्षीय सुशमा, 21 वर्षीय शशि, 8 वर्षीय साक्षी, 25 वर्षीय गुडिया, 25 वर्षीय ओमवीर, 8 माह का नैंसी, 18 माह को जागेन्द्र, 3 माह की डोली घायल हुए हैं। करीब एक दर्जन घायलों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

दुष्कर्म का इनामी आरोपी गिरफ्तार

करौली, (निसं)। मंडरायल थाना पुलिस ने एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर तीन हजार का इनाम घोषित था पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम ने बताया कि मंडरायल थाना क्षेत्र के गांव में गांव के ही एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर नौ माह पूर्व रात नौ बजे के करीब चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया जिसका थाने पर मुकदमा दर्ज है। उन्होंने बताया कि आरोपी उसी समय से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 3 हजार रुपये का इनाम घोषित था जिस आरोपी को मंडरायल थाना पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर ओमप्रकाश, कांस्टेबल वृंदावन, युधिष्ठिर, शिवराम ने गिरफ्तारी के लिए कई जगह तलाश की जो नहीं मिला।

मारपीट की सूचना पर कुलोद खुर्द के मतदान केंद्र पर पहुंचे राजेंद्र सिंह गुढ़ा

झुंझुनूं, (निसं)। विधानसभा उपचुनावों के दौरान कुलोद खुर्द गांव स्थित मतदान केंद्र पर पूर्व मंत्री व निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा के पोलिंग एजेंट के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद खुद पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा कुलोद खुर्द गांव पहुंचे।

उन्होंने अपने एजेंट और समर्थकों से बातचीत कर पूरी बात की जानकारी ली और कहा कि अन्य प्रत्याशियों के एजेंट व समर्थक बौखला गए हैं। उनके एजेंट में बूथ पर डाले जा रहे फर्जी वोटों को रोका तो उसके साथ मारपीट की गई। एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई। इसके बाद धमकाया गया, जो सही नहीं है। उन्होंने मौके से ही जिला कलेक्टर

- गुढ़ा ने मौके से ही कलेक्टर को फोन कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया

रामावतार मीणा को फोन कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया और बूथ पर जाब्ता बढ़ाने व निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात कही। इसके साथ ही चेताया कि यदि फर्जी वोटिंग की गई तो वे मतदान दुबारा करवाएंगे। गुढ़ा के बूथ पर पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बूथ के बाहर पहुंच गए।

जानकारी के अनुसार इससे पहले झुंझुनूं विधानसभा के कुलोद खुर्द गांव स्थित बूथ पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा के समर्थक और उनकी पत्नी निशा कंवर के इलेक्शन एजेंट लोकेश कुमार ने राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। लोकेश कुमार ने आरोप लगाया कि बूथ पर फर्जी वोट डलवाए जा रहे थे। जिसका विरोध राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट शीशराम ने किया तो अन्य एजेंट ने उसके थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी अन्य प्रत्याशियों के समर्थकों ने घेर लिया और धक्का-मुक्की की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों पक्षों की समझाइश कर बूथ के बाहर इकट्ठा भीड़ को हटाया गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ।

पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में तीन को सजा

डूंगरपुर, (निसं)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के मामले का निस्तारण करते हुए तीन आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार पुलिस लाइन क्वार्टर में निवासरत कांस्टेबल नाथूलाल मीणा ने 27 मार्च 2017 को कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि दोपहर में पुलिस लाइन अपने क्वार्टर की ओर जा रहा था कि पुलिस लाइन के परकोटे के पास तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। जिस पर उसने अकारण बैठने पर फटकार लगाई। फटकार लगाने पर तीनों आरोपी भैरोसिंह पुत्र लोकेंद्र सिंह बाबरी खेड़ा थाना ऋषभदेव, खुमानपुर निवासी चंद्रपाल सिंह पुत्र सज्जन सिंह थाना आसपुर, नागेंद्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी वागदरी हाल जयहिंद नगर थाना कोतवाली ने उसके साथ जमकर मारपीट की तथा पूर्व केंद्रीय विद्यालय जो कि पुलिस लाइन परकोटे के पास स्थित था केंद्रीय विद्यालय के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और उसके जेब से 350 रुपए भी निकाल लिए। इस दौरान

- कोर्ट ने तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया

पुलिसकर्मी नाथूलाल का दांया पांव भी मारपीट की वजह से टूट गया।

उसके चिल्लाने पर विद्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोहनलाल और विद्यालय के प्राचार्य आए। साथ ही सूचना मिलते ही कांस्टेबल शंकरलाल, लक्ष्मण, मांथीलाल मौके पर पहुंच गए। साथ ही पुलिस गश्त दल भी मौके पर पहुंचा और उसे चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सा प्रारंभ की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश की गई। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता देखते हुए तीनों आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी एक अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट करने के अलावा अन्य प्रकरण भी विचाराधीन है।

शिवसिंह मर्डर केस का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयोग ली गई बाइक भी बरामद की

गंगापुर सिटी, (निसं)। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बुधवार को टोडाभीम में 24 सितंबर को हुये शिवसिंह सैनी हत्याकांड का पुलिस ने करीब दो माह बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयोग ली बाइक भी बरामद कर ली है।

पुलिस अधीक्षक गुप्ता ने बताया कि 24 सितंबर को तीन व्यक्ति भगवान सहाय बावरिया पुत्र रामकरण बावरिया निवासी कालेडी पुलिस थाना पापडदा जिला दौसा, शीशराम भील पुत्र प्रहलाद भील निवासी खोहरा मुल्ला पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा और धर्म सिंह बावरिया पुत्र राकेश कुमार बावरिया निवासी बुजेट पुलिस थाना गीजगढ़ जिला दौसा एक नाली टोपीदार बंदूक लेकर डेडान में जंगली सूअर का शिकार करने के लिए बाइक से निकले थे। इसके बाद तीनों शिवसिंह सैनी निवासी असरो वाला

शिव सिंह सैनी मर्डर काण्ड का एसपी ममता गुप्ता ने खुलासा किया।

सागर से शराब खरीदने के लिए रात करीब 11.30 बजे उसके घर पहुंचे। यहां उन्होंने शिवसिंह सैनी को आवाज देकर जगाया और शराब मांगी। शिवसिंह सैनी भगवान सहाय बावरिया को शराब के दो पव्वे देते हुए 200 रुपए मांगे। इस पर भगवान सहाय ने शिवसिंह सैनी को 120 रुपए देते हुए कहा कि दिन में तो उसने 2 पव्वों के इतने ही रुपए दिए थे, जबकि शिवसिंह शराब के 200 रुपए लेने की बात अड़ा रहा। जिस पर दोनों में झगड़ा हो

- शराब के रुपये देने की बात को लेकर विवाद हो गया था

गया। शिवसिंह घर से डंडा लेकर आया और तीनों के साथ मारपीट कर दी। वहीं तीनों लोगों ने भी शिवसिंह के साथ मारपीट कर दी। इस पर शिवसिंह सैनी का भाई सियाराम सैनी झगड़े की आवाज सुनकर मौके पर आया लेकिन उसे भगवान सहाय बावरिया ने बंदूक से डरा कर भगा दिया। गुस्से में भगवानसहाय ने अपने कंधे पर रखी बंदूक से शिवसिंह सैनी के सिर में गोली चला दी, जिससे शिवसिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद तीनों बाइक पर बैठकर नाहर खोहरा की ओर भाग गए।

घटना के बाद मृतक के भाई सियाराम सैनी पुत्र जगराम सैनी ने थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीम गठित की और डीएसटी, स्पेशल टीम, साइबर आदि ने जगह-जगह दबिश दी। आखिर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी लगी कि घटना में आरोपी शीशराम भील मुडफोडी का पुरा के डूंगरों में भैरोजी के मंदिर पर है।

टीम ने आरोपी को घेरकर गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयोग में ली गई बाइक को भी जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक गुप्ता ने बताया कि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की पुलिस द्वारा शीशराम से पूछताछ कर तलाश कर रही है। पुलिस टीम में थानाधिकारी देवेन्द्र कुमार शर्मा, सवाई माधोपुर साइबर सेल प्रभारी अजीत मोगा, साइबर सेल के हैड कांस्टेबल विजय सिंह, साहब सिंह, राजेश खन्ना, कॉन्स्टेबल शिवप्रसाद, तेजराम सिंह, राजेश, सुमरन, महेशचंद व कैलाश, शैलेन्द्र, पुरुषोत्तम, बलवीरसिंह आदि शामिल थे।